

**बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
अधिसूचना**

अधिसूचना सं०-5/अ०प्र०-01-54/2025 10541 पटना, दिनांक- 6.10.25

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-9807-सह-पठित ज्ञापांक-9808 दिनांक 10.09.2025 द्वारा सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर नियुक्ति के उपरांत दिनांक 06.10.2025 को विभाग में योगदान करने वाले नैन्सी शुभम (गृह जिला-पटना), नवनियुक्त सहायक अभियंता को ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमंडल, उदवंतनगर, कार्य प्रमंडल, आरा में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

2. इस अधिसूचना के निर्गत होने के साथ ही पदस्थापन से संबंधित उपर्युक्त स्थान के संबंध में पूर्व में निर्गत अन्य अधिसूचना/कार्यालय आदेश/निदेश विलोपित समझे जायेंगे।
3. उक्त नवनियुक्त सहायक अभियंता को पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण करने की तिथि से वेतनादि देय होगा।
4. पदस्थापित स्थान पर योगदान देने/प्रभार ग्रहण हेतु कोई यात्रा/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
5. पूर्व वृत्त सत्यापन (पुलिस भेरिफिकेशन) प्रतिकूल पाये जाने पर अस्थायी नियुक्ति तुरन्त समाप्त कर दी जायेगी।
6. मूल प्रमाण-पत्र जाँच के क्रम में अवैध पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।
7. उक्त नवनियुक्त सहायक अभियंता (असैनिक) जो वर्तमान में यदि किसी राज्य सरकार/भारत सरकार/सरकारी उपक्रम में कार्यरत है, उन्हें प्रभार ग्रहण के समय संबंधित विभाग का त्याग पत्र/विरमन आदेश प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. यदि इस अधिसूचना में कोई भूल अथवा टंकण आदि की त्रुटि परिलक्षित हो तो सीधे अधोहस्ताक्षरी को आवेदन संबोधित कर शुद्धि पत्र निर्गत करने का अनुरोध किया जाय।
9. (क) संबंधित नवनियुक्त सहायक अभियंता (असैनिक) अपने पदस्थापित स्थान पर अविलम्ब प्रभार ग्रहण करेंगे।
(ख) पदस्थापित स्थान पर प्रभार मिलने में अगर कोई कठिनाई हो तो अधोहस्ताक्षरी से सीधे सम्पर्क स्थापित कर वस्तुस्थिति से उन्हें अवगत करायेंगे।
(ग) कार्य प्रमंडल/अंचल के प्रभारी कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि पदस्थापित सहायक अभियंता को तत्काल प्रभार दिलाया जाय।
(घ) पदस्थापन आदेश के अनुपालन में किसी प्रकार की कोताही या विलम्ब अनुशासनहीनता मानी जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(अभय झा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-5/अ0प्र0-01-54/2025-

10542

पटना, दिनांक- 6-10-25

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना को दो अतिरिक्त प्रति के साथ/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-5/अ0प्र0-01-54/2025-

10542

पटना, दिनांक- 6-10-25

प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग को दो हार्ड कॉपी एवं सी0डी0 के साथ बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-5/अ0प्र0-01-54/2025-

10542

पटना, दिनांक- 6-10-25

प्रतिलिपि- संबंधित कोषांगार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-5/अ0प्र0-01-54/2025-

10542

पटना, दिनांक- 6-10-25

प्रतिलिपि- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/योजना एवं विकास विभाग/शिक्षा विभाग/स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-5/अ0प्र0-01-54/2025-

10542

पटना, दिनांक- 6-10-25

प्रतिलिपि- अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी संबंधित कोषांगार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-5/अ0प्र0-01-54/2025-

10542

पटना, दिनांक- 6-10-25

प्रतिलिपि- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी, स्पैरो/आई0 टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं संबंधित नवनियुक्त सहायक अभियंताओं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव